



दैनिक न्याय साक्षी

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्व का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कटाएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 12 जून 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-250

महत्वपूर्ण एवं खास

भारतीय छात्र को अमेरिका में 5 साल की जेल

वाशिंगटन। अमेरिका में भारत के एक कॉलेज इंटरन को करीब 24 लोगों से 10 लाख डॉलर की ठगी करने वाले टेलीमार्केटिंग घोटाले में तकनीकी सहायता मुहैया कराने के जुर्म में 60 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। न्याय विभाग ने सोमवार को बताया कि बिश्वजीत कुमार झा (21) और भारत में उसी कॉलेज के कई अन्य प्रशिक्षकों ने कई लोगों को ठगा। ये सभी लोग हॉस्पिटैलिटी उद्योग प्रशिक्षण पर अमेरिका आए थे। झा की जेल की सजा की अवधि खत्म होने पर उसे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। न्याय विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों की आयु 58 से 93 साल के बीच है और उनसे 1,180 डॉलर से 174,300 डॉलर तक की धनराशि ठगी गई। न्यूपोर्ट पुलिस ने 20 नवंबर 2018 को टेलीमार्केटिंग घोटाले का पर्दाफाश किया जब जांचकर्ताओं ने अदालत के आदेश पर झा और साजिश रचने वाले अन्य सदस्यों के आवास पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने घोटाले से संबंधित कई सामग्री बरामद की।

मैनहट्टन की इमारत पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की मौत

न्यूयॉर्क। अमेरिका के मैनहट्टन शहर में एक बहुमंजिला इमारत पर उतरने के दौरान हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। न्यूयॉर्क के अग्निशमन विभाग के अनुसार सोमवार को मैनहट्टन में एक 54 मंजिला इमारत पर हेलीकॉप्टर उतरने के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संघीय विमानन प्रशासन ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में केवल पायलट ही सवार था। दुर्घटना से इमारत की छत पर आग लग गई। छत पर हेलीकॉप्टर के उतरने को लेकर हेलीपैड नहीं बना था। आग पर काबू पा लिया गया और इलाके इलाके को खाली कर दिया गया। अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सड़कों को बंद करने की घोषणा की और लोगों से इस क्षेत्र में जाने से बचने का अनुरोध किया। न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग के प्रमुख थॉमस रिचर्डसन ने कहा, ऊंची इमारतों में लगी आग पर काबू पाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसी उंचाई तक पानी का प्रेशर नहीं पहुंचता है लेकिन हमारे पास ऐसी स्थिति से निपटने की पूरी व्यवस्था है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें दुर्घटना से अवगत कराया गया है और प्रशासन सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

जी 20 शिखर सम्मेलन में जिनपिंग से चर्चा का कार्यक्रम : ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जून में जापान में होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चर्चा करने का कार्यक्रम है। ट्रम्प ने सोमवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, हम लोगों का मिलने और चर्चा करने का कार्यक्रम है, मुझे लगता है दिलचस्प चीजें होंगी। इससे पहले ट्रम्प ने सीएनबीसी को दिये एक साक्षात्कार में कहा कि अगर जिनपिंग ने जी 20 में उनसे मुलाकात नहीं की तो 300 अरब डॉलर के सामानों पर तुरंत शुल्क लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका और चीन आपसी असहमति को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

राहुल ने सीएम योगी पर साधा निशाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए उसे तत्काल रिहा करने की मांग की है। गांधी ने मंगलवार को इस गिरफ्तारी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्हें अनुचित व्यवहार करने की बजाए पत्रकार को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, यदि मेरे खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा प्रायोजित दुष्प्रचार प्रचार के तहत की जाने वाली झूठी खबरों को लेकर पत्रकारों को जेल में डालें तो ज्यादातर अखबारों और समाचार चैनलों में पत्रकारों की बहुत कमी हो जायेगी।

लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे डॉ. वीरेंद्र कुमार

नई दिल्ली (आरएनएस)। 17वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। इससे पहले लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए बरेली से सांसद संतोष गंगवार और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का नाम सामने आया था। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने दोनों नाम खारिज कर दिया था।



बचपन से ही आरएनएस से जुड़े वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से छह बार लोकसभा सदस्य और भाजपा के दलित चेहरा हैं। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। 27 फरवरी, 1954 को जन्मे कुमार 1996 में सागर से 11 वीं लोकसभा में पहली बार सांसद बनें। तब से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2004 तक सागर से जीते। परिसीमन के बाद उन्होंने 2009 और 2014 में टीकमगढ़ सीट से चुनाव जीते। छह चुनावों में सिर्फ तीन साल के अंतराल में हुए थे

1996, 1998 और 1999. प्रतिष्ठित डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से अर्थशास्त्र और पीएचडी इन चाइल्ड लेबर में पीएचडी और अर्थशास्त्र में एम ए कुमार ने अपना करियर आरएनएस कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया और साल 1975 में लोकनायक जय प्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए क्रांति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। प्रोटेम स्पीकर, चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुने जाने तक संसद का कामकाज स्पीकर के तौर पर

चलाता है यानि संसद का संचालन करता है। सीधे कहें तो यह कामचलाऊ और अस्थायी स्पीकर होता है। बेहद कम वक्त के लिए इन्हें चुना जाता है। अभी तक ज्यादातर मामलों में परंपरा रही है कि सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी को यह जिम्मेदारी दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर तभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक स्थायी अध्यक्ष का चयन न हो जाए। हालांकि केवल चुनावों के बाद ही प्रोटेम स्पीकर की जरूरत नहीं होती बल्कि उस हर परिस्थिति में प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ती है जब संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद एक साथ खाली हो। यह उनकी मृत्यु की स्थिति के अलावा दोनों के साथ इस्तीफा देने की परिस्थितियों में हो सकता है।

अब उत्तर 24 परगना में बम से हमला, 2 लोगों की मौत

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला राज्य के 24 परगना जिले के कन्किनारा का है, जहां एक ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने कहा कि हम डरे हुए हैं। इलाके में चोरी की कई घटनाएं भी हुई हैं और हमारी मांग है मदद की जाए। इससे पहले राज्य के संदेशखली में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के बाद शनिवार को तीन लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में



शनिवार रात भड़की हिंसा के बाद तीन लोगों के शव बशीर हाट अस्पताल लाये गए थे। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि इनमें से दो लोग उनके समर्थक थे वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि एक उनका सक्रिय कार्यकर्ता था। दोनों दलों ने दावा किया कि उनके कई समर्थक हिंसा के बाद से लापता हैं। पुलिस और उत्तर 24 परगना जिले के अधिकारियों ने शनिवार के बाद हुए संघर्षों के बारे में कुछ नहीं बोला और मृतकों की संख्या पर कोई बयान नहीं दिया।

सरकारी गवाह को इलाज के लिए विदेश जाने की दी अनुमति

अगस्ता वेस्टलैंड मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को विदेश जाकर अपने रक्त कैन्सर और अन्य बीमारियों का इलाज कराने की सोमवार को इजाजत दे दी। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने हाईकोर्ट के चार जून के आदेश को रद्द करते हुए सक्सेना को राहत दी। हाईकोर्ट ने सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के निचली अदालत

के एक जून के फैसले पर रोक लगा दी थी। सक्सेना हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में बिचौलिया था। निचली अदालत ने सरकारी गवाह को एक महीने के लिए छह जून से पांच जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ब्रिटेन और यूरोप जाने की इजाजत दे दी थी। जस्टिस मल्होत्रा ने सक्सेना की विदेश यात्रा की अवधि में बदलाव कर दिया और इसे 25 जून से 24 जुलाई के तक कर दिया। हाईकोर्ट ने सक्सेना को इस आधार पर राहत दी है कि उसे माफ करने और सरकारी गवाह बनाने से पहले ही

चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी गई थी। आरएनएस के मुताबिक अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उसे राहत प्रदान पर एतराज नहीं जताया है। हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि मामले में अन्य दो आरोपी गौतम खेतान और ऋतु खेतान को विदेश जाने की इजाजत दी जा चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत नहीं समझती है कि (निचली अदालत) के आदेश को बदलना उचित है। हाईकोर्ट ने सक्सेना को इस शर्त पर राहत दी कि वह ईडी को उन स्थानों के पते व संपर्क नम्बर



देगा जहां वह विदेश यात्रा के दौरान जाएगा और ठहरेगा। केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने सक्सेना को राहत देने पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि वह गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुआ था और यूएई को उसे भारत निर्वासित करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार की रिहाई का दिया आदेश

योगी पर विवादित टिप्पणी का मामला

नई दिल्ली, 11 जून (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिरकार यूपी पुलिस ने प्रशांत को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा,



प्रशांत कन्नौजिया ने जो शेरय किया और लिखा, इस पर यह कहा जा सकता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन, उसे अरेस्ट किस आधार पर किया गया था। आरएनएस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

दिखाते हुए फीलांस जर्नलिस्ट कन्नौजिया को रिहा कर देना चाहिए। प्रशांत की पत्नी जगीशा अरोड़ा ने सोमवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए इस गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। पत्रकार और एक्टिविस्ट प्रशांत कन्नौजिया को लगातार आपत्तिजनक ट्वीट और रिट्वीट करने के आरोप में शनिवार सुबह दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंडावली स्थित उनके घर से हिरासत में लिया था। इसके खिलाफ प्रशांत की पत्नी जिगीशा ने

सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दारिखल की थी। याचिका में कहा गया है कि प्रशांत की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। याचिका के मुताबिक यूपी पुलिस ने इस संबंध में ना तो किसी एफआईआर के बारे में जानकारी दी है ना ही गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन का पालन किया गया है। इसके अलावा ना ही उन्हें दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड के लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया।

गवर्नर त्रिपाठी ने पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह से की मुलाकात

राज्य के हालात की दी जानकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा के बीच राज्य के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। राज्यपाल ने अमित शाह से करीब 20 मिनट की मुलाकात की और राज्य के हालात की जानकारी दी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि



उन्होंने राज्य के हालात के बारे में गृह मंत्री को सूचित किया, जहां हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लगभग एक दर्जन समर्थक हिंसा में मारे गए हैं। हालांकि राज्यपाल ने इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में कथित रूप से राजनीतिक हत्याओं का दौर थमा नहीं है। राज्य में हिंसक घटनाओं का दौर जारी है।

एक ही परिवार के सात सदस्य गंगा में डूबे, पांच के शव बरामद

अमरोहा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में सोमवार को एक परिवार के सात सदस्य गंगा नदी में डूब गये जिनमें पांच के शव बरामद कर लिये गये हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हसनपुर क्षेत्र में लुहारी खुर्द गांव निवासी एक परिवार के सदस्य और रिश्तेदार सुबह सवेरे बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए गजरौला क्षेत्र में गंगा नदी के बूजघाट पर स्नान करने गये थे। इस बीच एक युवक का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। परिवार के सदस्य को बचाने के लिये एक एक कर दस लोग गंगा में कूद पड़े लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उनके



पैर उखड़ गये और नदी के तेज बहाव में बह गये। शोर मचाने पर आठ लोगों को अर्धचेतन अवस्था में गंगा से निकाल लिया गया था। सभी को आनन फानन में समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला में भर्ती कराया गया है जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने पांच को मृत घोषित कर दिया। बाकी तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस बचे दो लोगों की तलाश कर रही है। मंडी धनौरा की पुलिस क्षेत्राधिकारी मोनिका यादव पुलिस बल और गोताखोर के साथ मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

मोबाइल फोन की तस्करी के सिलसिले में हवाईअड्डे से एक गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक व्यक्ति को देश में आईफोन समेत विभिन्न ब्रांड के मोबाइल फोनों की तस्करी की कथित कोशिश के मामले में गिरफ्तार किया है। इन फोन की कीमत 63 लाख रूपए है। आरोपी को चीन के ग्वांगझू से यहां आने पर रोक लिया गया। उसका विमान कोलंबो से होते हुए यहां पहुंचा था। सीमा शुल्क विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में बताया गया कि उसकी और उसके सामान की तलाशी करने पर आईफोन, सैमसंग, सोनी, ब्लैकबेरी जैसे विभिन्न ब्रांड के अवैध रूप से आयातित 204 मोबाइल फोन जब्त किए गए।

अच्छी फसल के लिए चाचा ने भतीजे का सिर किया धड़ से अलग

नौपाड़ा (आरएनएस)। ओडिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अंधविश्वास के चलते एक चाचा ने अपने ही भतीजे की बलि चढ़ा दी। यह घटना ओडिशा के नौपाड़ा जिले के जडामुंडा गांव की है। यहां एक चाचा ने अपने खरीफ सीजन में बढ़िया फसल हो इसके लिए अपने ही भतीजे का सिर किया धड़ से अलग कर दिया। इस मामले में 48 साल के चिंतामणि माझी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को माझी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार



8 जून की सुबह आरोपी चाचा चिंतामणि माझी अपने बड़े भतीजे 18 साल के देबाचन के साथ खेत में काम कर रहा था। सुबह 9:30 बजे के करीब उसका छोटा भतीजा 12 साल का धानसिंह उनके लिए खाना लेकर खेत में पहुंचा। करीब आधे घंटे बाद चिंतामणि अपने छोटे भतीजे धानसिंह को पेड़ काटने के बहाने दूसरे खेत में लेकर चला गया और वहीं उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब रोने की आवाज़ सुनकर धानसिंह का



बड़ा भाई वहां पहुंचा तो वह हैरान रह गया। देबाचन ने वहीं शोर मचाना शुरू कर दिया जिसके बाद सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने माझी को गिरफ्तार कर लिया। पृष्ठछाछ के बाद माझी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।